**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 94**

**सोमवार, 17 जुलाई, 2017/ 26 आषाढ़, 1939 (शक)**

**राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर रोशनी की व्‍यवस्‍था**

94. **श्री हुसैन दलवई:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री दिनांक 21 नवम्‍बर, 2016 को राज्‍य सभा में अतारांकित प्रश्‍न सं. 588 के दिए गए उत्‍तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाले राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर रोशनी की व्‍यवस्‍था न करने के क्‍या कारण हैं;

(ख) क्‍या मंत्रालय दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयोजन से ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाले राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर रोशनी की विशेष व्‍यवस्‍था करने पर विचार करेगा;

(ग) यदि हां, तो क्‍या मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन संशोधन विधेयक या इसके नियमों के तहत व्‍यवस्‍था किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं;

(घ) राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर कितने किलोमीटर तक रोशनी की व्‍यवस्‍था है और कितने किलोमीटर में नहीं है, इस संबंध में कोई डेटा न होने के क्‍या कारण हैं; और

(ड.) मंत्रालय ऐसे डेटा एकत्र करने और उन्‍हें सार्वजनिक करने के लिए क्‍या कदम उठाएगा?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) एवं (ख):** वाहनों में रात्रि के दौरान देखने के लिए हेड लाइट्स लगी होती हैं । इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश-व्‍यवस्‍था की आवश्‍यकता नहीं है ।

**(ग):** प्रश्‍न नहीं उठता ।

**(घ) एवं (ड.):** चूंकि, राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश-व्‍यवस्‍था करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है, इसलिए ऐसे कोई आंकड़े अपेक्षित नहीं हैं ।

\*\*\*\*\*